न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 10/ 2018 जिला सीकर

कमला देवी पत्नी बोदूराम पुत्री गणेशराम, जाति जाट, निवासी जेरठी, तहसील धोद, हाल निवासी पतिगृह ग्रम कोलीडा, तहसील व जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. हरिराम
2. .रामकुमार
3. जगदीश पुत्रान गणेशराम
4. भागीरथी पत्नी गणेशराम, समस्त जाति जाट, निवासीगण जेरठी, तहसील धोद, जिला सीकर ।
5. मूली देवी पुत्री गणेशराम पत्नी पीथाराम , जाति जाट, निवासी ग्रम भूखरों का बास, तहसील धोद, जिला सीकर ।
6. नारायणी देवी पुत्री गणेशराम पत्नी जवाहराराम , जाति जाट, निवासी ग्रम भूखरों का बास, तहसील धोद, जिला सीकर ।
7. तहसीलदार तहसील धोद, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर सीकर दिनांक 5.1.2018 बाबत नामांतरकरण संख्या 123 दिनांक 19.6.1992

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

निर्णय

दिनांक –21.5.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 5.1.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम जेरठी , तहसील सीकर (वर्तमान तहसील धोद) जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 470 रकबा 3.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 497 रकबा 3.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 498 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 499 रकबा 2.71 हैक्टेयर , कुल किता 4 कुल रकबा 10.25 हैक्टेयर का खातेदार गणेशराम था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 123 तहसीलदार सीकर, जिला सीकर ने दिनांक 19.6.1992 को हरिराम, रामकुंवार, जगदीश पि. गणेशराम व भागीरथी बेवा गणेशराम रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम तस्दीक कर दिया ।

Scanned by CamScanner

उक्त नामांतरकरण संख्या 123 दिनांक 19.6.1992 से व्यथित होकर अपीलान्ट कमला देवी पुत्री गणेशराम द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो अपीलधीन आदेश दिनांक 5.1.2018 द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 मृतक खातेदार की पुत्रियॅा होने के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत/सजरा आदि उपलब्ध नहीं होने एवं मृतक खातेदार की पुत्री होने के संबंध में परिचय पत्र तक प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में अपील मीमों के संलग्न् शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं करने एवं अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रयास तक नहीं किया , जिससे प्रथमदृष्ट्या भी अपीलान्ट गणेशराम की पुत्री होना साबित हो । अतः इस दशा में यह साबित करना असंभव है कि अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 मृतक खातेदार गणेशराम की पुत्रियॅा है । अतः अपील अपीलान्ट साक्ष्य/दस्तावेज प्रमाणन के अभाव में पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की है ।

अति. जिला कलक्टर सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5.1.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 123 निरस्त कर अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 स 6 के नाम नामांतरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता उपस्थित रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से कोई हाजिर नहीं होने पर अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गई ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार गणेशराम था । अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 मृतक खातेदार गणेशराम की जायन्दा पुत्रियॅा है जिन्हें रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 स 4 भी इन्कार नहीं करते हैं । तहसीलदार सीकर ने गणेशराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतकरण संख्या 123 दिनांक 19.6.1992 को गणेशराम की पुत्रियों को छोडते हुये केवल पुत्रों एवं विधवा के नाम तस्दीक किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक नहीं है । अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 मृतक खातेदार गणेशराम की जायन्दा पुत्रियॅा होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष में प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है और अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलान्ट कमला देवी पुत्री गणेशराम पत्नी बोदूराम स्पष्ट रूप से अंकित है । रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को गणेशराम की पुत्री नहीं होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के अभिलेख एवं तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश द्वारा यह साबित करना असंभव माना

Scanned by CamScanner

कि अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 मृतक खातेदार गणेशराम की पुत्रियॅा है ओर अपील अपीलान्ट साक्ष्य/ दस्तावेज प्रमाणन के अभाव में पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अति. जिला कलक्टर सीकर दिनांक 5.1.2018 व प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 123 दिनांक 19.6.1992 विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावे तथा गणेशराम की विरासत का नामांतरकरण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के नाम तस्दीक करने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद विवादित भूमि के मृतक खातेदार गणेशराम की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 123 दिनांक 19.6.1992 के संबंध में है । मृतक खातेदार गणेशराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण तहसीलदार सीकर द्वारा मृतक की पुत्रियों को छोडते हुये केवल पुत्रों व विधवा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम तस्दीक किया है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ मृतक खातेदार गणेशराम की पुत्री अपीलान्ट कमला देवी द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर ने अपीलधीन आदेश दिनांक 5.1.2018 द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 मृतक खातेदार की पुत्रियॅा होने के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत/सजरा आदि उपलब्ध नहीं होने एवं मृतक खातेदार की पुत्री होने के संबंध में परिचय पत्र तक प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में अपील मीमों के संलग्न् शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं करने एवं अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रयास तक नहीं किया, जिससे प्रथमदृष्ट्या भी अपीलान्ट गणेशराम की पुत्री होना साबित हो । अतः इस दशा में यह साबित करना असंभव है कि अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 मृतक खातेदार गणेशराम की पुत्रियॅा है । अतः अपील अपीलान्ट साक्ष्य/ दस्तावेज प्रमाणन के अभाव में पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की है ।

(हस्ताक्षर) अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 मृतक खातेदार गणेशराम की पुत्रियॅा होने के आधार पर अपने पिता की सम्पत्ति में हक चाहती है । तहसीलदार सीकर ने गणेशराम की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण में चूंकि पुत्रियों को छोड कर केवल पुत्रों व विधवा के नाम तस्दीक किया है, जो विधि विरूद्ध है । पुत्रियॅा भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने क लिये प्रथम श्रेणी की वारिस है जिन्हें प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है , लेकिन तहसीलदार ने बिना वारिसान की जॅाच किये व बिना प्रभावित व विधिक वारिसान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये , प्रश्नगत नामांतरकरण केवल पुत्रों के नाम तस्दीक किया है, जो विधिविरूद्ध होने से

Scanned by CamScanner

निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलान्ट की अपील अपीलाधीन आदेश द्वारा यह साबित करना असंभव मानते हुये कि अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 मृतक खातेदार गणेशराम की पुत्रियॉ है , अपील अपीलान्ट साक्ष्य/ दस्तावेज प्रमाणन के अभाव में पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की है । हम समझते हैं कि अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 विवादित भूमि के मृतक खातेदार गणेशराम की पुत्रियॉ होने के आधार पर अपने पिता की विरासत के नामांतरकरण में अपना नाम भी दर्ज कराना चाहती है । प्रकरण में यह भी जॉच का विषय है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 गणेशराम की पुत्रियॉ भी है या नहीं है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त कर, गणेशराम की विरासत का नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व गणेशराम के विधिक वारिसान की विधिवत जॉच की जाकर तथा उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार धोद, जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति. जिला कलक्टर सीकर दिनांक 5.1.2018 एवं तहसीलदार सीकर द्वारा तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 123 दिनांक 19.6.1992 विधिसम्यक नहीं होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण विवादित भूमि के मृतक खातेदार गणेशराम के वारिसान की विधिवत जॉच की जाकर उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार धोद जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. संभागीय आयुक्त

जयपुर

Scanned by CamScanner